कार्यालय

फोन/फैक्स नं0- 01375-224233
E-Mail
dfobarkot@rediffmail.com

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

पंत्राक- 1420/12-1 दिनांक,बड़कोट,दिसम्बर, 16, ,2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाद्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु (ल0 14.50 कि0मी0) 9.94 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु अधिशासी अभियन्ता (परियोजना) ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भः- ऑन-लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/VELEC/29057/2017।

महोदय,

विषयगत विद्युतीकरण वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की आपत्ति के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक- 25.09.2017 तथा दिनांक- 14.12.2017 ऑन-लाईन प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जे0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

co 2 Land Transfer

प्रारूप

परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्याः– FP/UK/VELEC/29057/2017

✓ परियोजना का नाम एंव जनपदः–दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत जनपद–उत्तरकाशी, विकासखण्ड–पुरोला में ग्राम–पौन्टी–गौल के विद्युतीकरण का कार्य

परियोजना का क्षेत्रफल (हे0 में):– 9.94

प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पताः– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

वन प्रभाग का नामः– अपर यमुना बडकोट, उत्तरकाशी

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित पौन्टी–गौल क्षेत्रफल 19.88 हे0 का पुनः दिनांक 14-12-2017 को श्री जे0पी0 सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नही है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है। अतः उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

(प्रभागीय वनाधिकारी का नाम/मुहर/मोहर सहित)

प्रारुप–7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

1. A proposal has been received by this office from **Executive Engineer, Rural Electrification Division Dehradun** for diversion under FCA-1980) of 9.94 hect. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for electrification in Village **Punti-Gaul** widening. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated. 25.09.2017
2. On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 9.94 hect.
3. The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
4. Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- **NO**
5. xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- NO.

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction: **YES**

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached: **NO**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal:
Recommended for sanction.

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Place:- बड़कोट
Date. 25/9/2017

(Signature)
Name. (जे० पी० सिंह)
Designation प्रभागीय वनाधिकारी
Office Seal अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट (उत्तरकाशी)

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.xx out of(a) and (b) tick the optionwhich is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.